नोटिस

अनावेदकों से जवाब तलब, अगली सुनवाई 23 जून को

नौ किमी दूर स्कूल का विलय किये जाने को चुनौती

जबलपुर, नवभारत। मप्र हाईकोर्ट ने हरदा जिले एक सरकारी स्कूल को नौ किमी. दूर शिफ्ट किये जाने को चुनौती देने वाले मामले को गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने मामले में राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की है।

यह जनहित का मामला हरदा के स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद भोरगा, समाजसेवी मुकेश चौहान और ग्राम पंचायत मोहल कलां की सरपंच मनीषा आमे की ओर से दायर किया गया है। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने डीईओं के आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि यह बच्चों के मौलिक अधिकारों और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरदा के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत कई गांवों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को 9 किलोमीटर दूर स्थित संदीपनि स्कूलए खिरकिया में विलय कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले से ग्रामीण और गरीब परिवारों के सैकड़ों बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। छोटे बच्चों के लिए रोजाना 9 किलोमीटर दूर स्कूल जाना व्यावहारिक नहीं है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

कॉलोनी डेवलपमेंट विवाद में अग्रिम जमानत निरस्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने कालोनी डेवलपमेंट विवाद में आरोपी जायद खान की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सीके मिश्रा ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दलील दी गई कि आवेदक के विरुद्ध शिकायत को गंभीरता से लेकर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के पास कालोनी डेवलप करने का लाइसेंस नहीं है और अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं हुईं। जबकि आवेदक के वकील ने दलील दी कि मामला सिविल प्रकृति का है। जमीन का विक्रय विलेख व नामांतरण हो चुका है। अनुबंध के अनुसार 8 महीने में भूमि डायवर्ट कर आरसीसी रोड, ड्रेनेज व बिजली के पोल लगाने थे। आवेदक ला ग्रेजुएट है, आपराधिक रिकार्ड नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत देना उचित न मानते हुए अर्जी निरस्त कर दी। इस मामले में जायद के पिता अब्दुल कदीर उर्फ कज्जू भी फरार हैं, जिस पर पहले से से हनुमानतालए गोहलपुर व अधारताल थानों में बम विस्फोट, मारपीट, धोखाधड़ी सहित कई प्रकरण दर्ज हैं। इससे पहले सिविल कोर्ट ने जायद की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त की थी।

पांच दिनों में गर्भावस्था समाप्त कर डीएनए रखें सुरक्षित

बलात्कार पीड़ित नाबालिग के मामले में हाईकोर्ट ने दिये आदेश

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन ने बलात्कार पीड़ित नाबालिग किशोरी की गर्भावस्था पांच दिनों में समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि गर्भावस्था समाप्त करने के दौरान भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखा जाये। जिसका इस्तेमाल अपराध की जांच में किया जाएगा। मंडला जिला न्यायालय के द्वारा नाबालिग बलात्कार पीडित की गर्भावस्था समाप्त किये जाने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में प्रकरण भेजा गया था। जिसमें कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में पास्को सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

एकलपीठ ने संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए बलात्कार पीडित की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये किये थे। मेडिकल बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट में पेश की गयी रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़ित की उम्र 17 साल है और 11 मई 2026 की गयी जांच के अनुसार उसकी गर्भावस्था 5 हफ्ते 4 दिन थी। बोर्ड की राय है कि गर्भावस्था को इस चरण में मेडिकल तरीके से खत्म करना सुरक्षित रूप से संभव है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान में पीड़िता की गर्भावस्था का समय 7 से 8 हफ्तों के बीच है। गर्भवती महिला यौन उत्पीड़न की शिकार है। पीडित गर्भावस्था समाप्त किये जाने के पक्ष में है। एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए मेडिकल तरीके से पीडित की गर्भावस्था पांच दिनों में खत्म करने का निर्देश जारी किये है। संबंधित जिला अस्पताल पीडित को सभी मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाये। भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखा जाए,जिसके उपयोग अपराध की जांच में किया जाएगा।

हिरन नदी से हो रहा था रेत का अवैध उत्खनन

प्रशासनिक टीम ने मारा छापा, दो जेसीबी, एक हाइवा और ट्रैक्टर ट्राली जब्त, ऑपरेटरों को दबोचा

जबलपुर, नवभारत। हिरन नदी से धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इसकी भनक लगते ही मंगलवार को सिहोरा अनुभाग के अंतर्गत पौंडा तहसील के खिन्नी में खनिज, राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने छापामार कार्यवाही की। हिरन नदी से रेत के अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर दो जेसीबी, एक दस चक्का हाइवा और एक ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त किया है। वहीं, मौके से दोनों जेसीबी मशीनों के ऑपरेटरों को भी पकड़ा लिया गया है। अचानक हुई कार्रवाई से रेत माफियाओं, गुर्गों में हड़कंप मच गया।

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सिहोरा ज्योति परस्ते ने बताया कि तहसीलदार ललित ग्वालवंशी और खनिज निरीक्षक शिवपाल चौधरी ने हिरन नदी से रेत के अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर पौंडा तहसील के ग्राम खिन्नी में औचक कार्यवाही कर मौके से दो जेसीबी मशीन, रेत से आधा भरा हुआ एक दस चक्का हाइवा और रेत से भरी हुई एक ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त किया गया। रेत के अवैध उत्खनन में प्रयुक्त इन वाहनों को गोसलपुर थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया।

इन्हें पकड़ा गया

कार्यवाही के दौरान रेत का अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर दोनों जेसीबी के ऑपरेटर मोहम्मद रहमान उर्फ मोहम्मद रियाज मंसूरी तथा मोहित बर्मन पिता रंजीत बर्मन को पकड़ कर गोसलपुर थाने में पूछताछ की जा रही है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सिहोरा ने बताया कि रेत के अवैध उत्खनन के इस प्रकरण में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है एवं वैधानिक कार्यवाही के लिये खनिज विभाग के माध्यम से कलेक्टर न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा।

बलराम के कहने पर हो रहा था उत्खनन

तहसीलदार पौंडा ललित ग्वालवंशी के मुताबिक पूछताछ के दौरान एक जेसीबी के आपरेटर मोहम्मद रियाज मंसूरी पुलिस को बताया कि खिन्नी में हिरन नदी से रेत का अवैध उत्खनन चरगंवा निवासी बलराम ऊर्फ गोलू सिंह द्वारा कराया जाता है। वहीं जेसीबी ऑपरेटरों ने एक जेसीबी मशीन अरुण प्रताप भदौरिया ऊर्फ सोनू भदौरिया निवासी चरगंवा तथा दूसरी जेसीबी पनागर के शुभम पटेल की होना बताई है। कार्यवाही में जप्त दस चक्का हाइवा के मालिक का पता लगाया जा रहा है।

80,000 की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार

म .प्र .विद्युत नियामक आयोग को भेजी गई अपील

नवभारत, जबलपुर। लोकायुक्त जबलपुर ने शहपुरा तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक (आरआई) करण सिंह लोधी को सीमांकन के बदले 80,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए रिश्वतखोर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया गया है । अचानक हुई कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा।

जानकारी अनुसार संगम कॉलोनी उखरी, निवासी रोहित जैन ने लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके एक व्यापारी मित्र ने शहपुरा तहसील के ग्राम कुलोन में जमीन खरीदी थी। इस जमीन के सरकारी सीमांकन के बदले आरोपी राजस्व निरीक्षक करण सिंह लोधी (56) 1,00,000 की मांग कर रहा था। शिकायत की सत्यता जांचने के लिए लोकायुक्त ने सत्यापन कराया। इस दौरान आरोपी आरआई 80,000 लेने पर राजी हो गया।

जाल बिछाकर धरदबोचा

लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी करण सिंह लोधी ने कटंगा के रतन कॉलोनी में आवेदक से 80,000 की नकद राशि ली, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में ट्रैप अधिकारी निरीक्षक जितेंद्र यादव, निरीक्षक राहुल गजभिए शामिल रहे।

पूर्व तहसीलदार विवेक त्रिपाठी को मिली जमानत

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक पटेल की अदालत ने पूर्व तहसीलदार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। मामला निसर्ग रिसार्ट में करंट लगने से युवक की मौत से जुड़ा है। आवेदक बड़ा जैन मंदिर, गढ़ा के समीप रहने वाले विवेक त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदक पूर्व तहसीलदार है। बरगी पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किए जाने के बाद 27 मई 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार जबलपुर में बंद है। पूर्व में जेमएमएफसी कोर्ट में दायर जमानत आवेदन 28 मई को निरस्त किया जा चुका है। इसीलिए अपर सत्र न्यायालय की शरण ली गई है। दलील दी गई कि आरोपी निर्दोष है और केवल अनुमानों, अटकलों, धारणाओं और पूर्वधारणाओं के आधार पर बिना किसी ठोस विश्वसनीय सबूत के उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई। जिस निसर्ग रिसार्ट के स्विमिंग पूल में साजन विश्वकर्मा नामक युवक की करंट लगने से मौत हुई, उसकी देखरेख का पूरा दारोमदार प्रबंधक को सौंपा गया था। सिर्फ मालिक होने के नाते आवेदक को कठघरे में लाना अनुचित है। युवक की मृत्यु में उसकी भूमिका दूर-दूर तक नदारद है। उक्त दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

आदान विक्रय प्रतिष्ठानों में छापेमारी

अभिलेखों, संबंधी दस्तावेजों की जांच, बीजों के लिए नमूने

जबलपुर, नवभारत। खरीफ सीजन में कृषकों को उत्तम गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता निर्धारित दरों पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि अधिकारियों ने मंगलवार को मझौली के विभिन्न आदान विक्रय प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। इस दौरानशुभम कृषि केंद्र, प्रियांशी कृषि केंद्र, शिवशक्ति कृषि केंद्र एवं ओम कृषि केंद्र में संधारित अभिलेखों, स्टॉक रजिस्टर, विक्रय अभिलेखों एवं लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्टॉक रजिस्टर एवं आवश्यक अभिलेख संधारित पाए गए तथा लाइसेंस में संबंधित कंपनियों के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट संलग्न पाए गए।

कृषि अधिकारियों ने विक्रेताओं को निर्देशित किया कि संबंधित कंपनियों के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लाइसेंस में संलग्न होने के बाद ही बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का विक्रय करें। साथ ही प्रत्येक कृषक कोआदान सामग्री विक्रय करते समय निर्धारित प्रारूप में पक्का बिल अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। निरीक्षण के दौरान बीज के चार नमूने संग्रहित किए गए, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रेषित किया जाएगा।

कृषि अधिकारियों ने किसानों से बीज, उर्वरक अथवा कीटनाशक दवाओं की खरीद करते समय विक्रेता से पक्का बिल अवश्य प्राप्त करने तथा उसे सुरक्षित रखने की अपील की है , ताकि किसी भी प्रकार की गुणवत्ता संबंधी शिकायत की स्थिति में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके। इस दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी मनीषा पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जे एस राठौर एवं कृषि विस्तार अधिकारी सुश्री रिचा सिंह शामिल थे।

म .प्र .विद्युत नियामक आयोग को भेजी गई अपील

यूपी की तर्ज पर आयोग फ्यूल सरचार्ज की वसूली रोके

नवभारत, जबलपुर। 1 जून को उत्तर प्रदेश बिजली आयोग ने बढ़े हुए फ्यूल सरचार्ज की वसूली पर रोक लगाकर उत्तर प्रदेश बिजली कंपनी से जवाब तलब किया है। इसी के तर्ज पर म.प्र. बिजली आयोग भी अपने प्रावधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए मई-जून के फ्यूल सरचार्ज के वसूली पर रोक लगाये।

यह अपील नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के सचिव को ई-मेल से भेजी है। अपील की प्रतिलिपि सचिव, ऊर्जा मंत्रालय म.प्र. को भेजी गई है।

इस संबंध में डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने बताया कि फ्यूल सरचार्ज मार्च में 0 प्रतिशत था, उसे बढ़ाकर अप्रेल में 5.36 प्रतिशत तथा मई-जून में 3.91 प्रतिशत करा दिया गया है। इस भारी वृद्धि के साथ ही बिजली के रेट में भी 4.8 प्र.श. में वृद्धि की गई है। यह बढ़े हुए रेट 1 अप्रेल से लागू हो गये है। अब नतीजा यह हुआ है की बिजली उपभोक्ताओं से प्रतिमाह भारी वसूली हो रही है। आर्थिक बोझ के कारण गरीब तथा मध्यम वर्गीय तबका भारी चिंता में पड़ा है।

मप्र सरकार ने अभी तक साध रखी है चुप्पी

विदित हो कि विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग को निर्देश जारी किये है, लेकिन दुःख है की म.प्र. सरकार ने अभी तक चुप्पी साधी है। मंच के रजत भार्गव, एड. वेदप्रकाश अधौलिया, सुशीला कनौजिया, गीता पांडे, डी. आर. लखेरा ने प्रदेश सरकार से अपील की की वह उत्तर प्रदेश सरकार के तर्ज पर कार्य करे।

निजी नर्सिंग होम पर घोर लापरवाही के गंभीर आरोप

प्रसूता और नवजात की मौत का मामला, तीन सदस्यीय दल कर रहा है मामले की जांच

जबलपुर, नवभारत। सदर बाजार क्षेत्र स्थित एक निजी नर्सिंग मैटरनिटी होम में प्रसव के दौरान हुई प्रसूता और बच्चे की मौत के मामले में लापरवाही बरते जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में मृतका के परिजनों ने जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर चिकित्सक एवं अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच की मांग की गई है।

शिकायत में सदर क्षेत्र रहवासी आवेदक तनवीर शाह ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी फिरदौस नाज को 28 मई की सुबह प्रसव के लिए उक्त नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है चिकित्सकों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में जच्चा एवं बच्चा दोनों को सामान्य और स्वस्थ बताया गया था।

कलेक्टर को दी गई शिकायत में आरोप है कि प्रसव के दौरान स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सकीय लापरवाही बरती गई है जिसके बाद अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति बनी। परिजनों का यह भी कहना है कि बाद में मरीज को बगैर डिस्चार्ज एवं रेफरल प्रक्रिया के दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला एवं नवजात की मृत्यु हो गई।

आवेदक ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं, प्रशिक्षित स्टाफ एवं आवश्यक उपकरणों की कमी है तथा गंभीर स्थिति में मरीजों को अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है। पीड़ित आवेदक ने अस्पताल के संचालन और लाइसेंस की जांच कर सील करने की मांग भी की है। पूरे मामले में परिजनों ने संबंधित चिकित्सक एवं नर्सिंग होम प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की माँग की है।

हालत बिगड़ने पर ले गए थे मेडिकल

पीड़ित आवेदक ने बताया कि प्रसवकाल के दौरान उनकी पत्नि को अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हो गया था ।जिससे हालात बेकाबू होते देख चिकित्सक ने हाथ खड़े कर दिए थे ।आनन फानन में मेडिकल लेकर पहुँचे जंहा चिकित्सकों ने सर्जरी कर गर्भ में ही मृत हो चुके बच्चे को बाहर निकाला ।वहीँ अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से महिला की मौत होना बताया था।

मृतका की तीन साल की है छोटी बच्ची

आवेदक ने बताया की उसकी तीन साल की मासूम बेटी है। चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मासूम के सिर से माँ का साया उठ गया ।

इनका कहना है

मामले की तीन सदस्यीय दल द्वारा जाँच की जा रही है ।रिपोर्ट आने के बाद करवाई की जाएगी।

डॉ. नवीन कोठारी
सीएमएचओ, जिला चिकित्सालय

त्वरित चिकित्सा सहायता से महिला यात्री को मिली राहत

जबलपुर, नवभारत। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायताउपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जबलपुर रेल मंडल के जबलपुर रेलवे स्टेशन केप्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर स्थित रैम्प पुल के समीप एक महिला यात्री फिसलकर गिर गई। घटना के दौरान महिलाका पैर फिसलने से उनके पैर में अंदरूनी चोट आ गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन पर तैनात उपस्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) एवं आकस्मिक चिकित्सा सुविधा स्टाफ की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थितिका जायजा लिया तथा महिला को आवश्यक सहायता प्रदान की। चिकित्सकीय टीम द्वारा प्राथमिक परीक्षणकिए जाने पर महिला के पैर में अंदरूनी चोट पाई गई। इसके पश्चात ईएमआर स्टाफ द्वारा मौके पर ही आवश्यकप्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया तथा उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी की गई। प्राप्त जानकारी केअनुसार घायल महिला का नाम ममता है, जो जबलपुर से सिवनी जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थीं। दुर्घटना केबाद रेलवे कर्मियों एवं चिकित्सा दल ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की, जिससे उन्हें शीघ्रराहत मिल सकी।

संवेदनशील स्थानों पर पहरेदार रखेंगे नजर

जबलपुर, नवभारत। मानसून का दौर शीघ्र ही शुरू हो रहा है जिसे देखते हुए रेलवे अभी से सतर्क हो गया है और बड़े पुलों और संवेदनशील स्थानों पर जलस्तर बढने या मिट्टी धंसने का खतरे से निपटने के लिए स्थायी पहरेदार तैनात होंगे। ये कर्मचारी 24 घंटे जलस्तर और ट्रैक की स्थिति को देखेंगे। इनका कार्य स्टेशन, यार्डों और पटरियों के किनारे जल निकासी (ड्रेनेज) की व्यवस्था दुरुस्त करना रहेगा ताकि ट्रैक पर पानी जमा न हो। इसके साथ ही पहाड़ी रास्तों पर ढीली चट्टानों को हटाने और ट्रैक के पास के खतरनाक पेड़ों की छंटाई भी इनके द्वारा की जाएगी वही खराब मौसम की चेतावनी मिलते ही संबंधित रूट पर पेट्रोलिंग को भी इनके द्वारा बढ़ा दिया जाएगा ।यह वॉच गार्ड आपात स्थिति में ये तुरंत नजदीकी स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे, जिससे ट्रेनों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा सकेगा और यात्री सुरक्षित होंगे।

मौसम विभाग से स्थापित होगा समन्वय

बता दे कि पश्चिम मध्य रेल सहित देश भर के उन सभी पुलों और संवेदनशील स्थानों की पहचान की जा रही है जहां भारी बारिश के कारण जलस्तर बढने या मिट्टी धंसने का खतरा रहता है। जिन स्थानों पर पूर्व में जल भराव आदि हुआ है, उन्हें सूची में पहले ही शामिल कर लिया गया है। इस बार मानसून कर्मचारियों के अलावा सहायक मंडल अभियंता से लेकर वरिष्ठ मंडल अभियंता स्तर के अधिकारी नियमित रूप से इंजन के केबिन में बैठकर और ट्राली के जरिए पटरियों की जांच करेंगे। वही रेलवे, मौसम विभाग से सीधा समन्वय करेगा और खराब मौसम की चेतावनियों के आधार पर गैंग मेट और पेट्रोलमैन को तुरंत अलर्ट किया जाएगा।

भवन निर्माण
भवन निर्माण 1500/- वर्गफुट कंस्ट्रक्शन
मॉड्यूलर किचन, लेटबाथ, स्टील रेलिंग, बिजली, पानी, मटेरियल सहित कम्पलीट वर्क
संपर्क- कमलेश पटेल, मोबाइल 6260334877

Mr. Solar
महाकौशल का सबसे भरोसेमंद
कोई झूठा वादा नहीं, सिर्फ सच
Mr. Solar
because you deserve the best
सोलर पार्टनर
• कम बिजली बनने पर क्षतिपूर्ति हम करेंगे
• विक्रय पश्चात सर्वोत्तम वाशिंग एवं मेंटेनेंस सर्विस
• सबसे तेज सब्सिडी प्रोसेसिंग
• सर्टिफाइड प्रोडक्ट
Office : Pls call us on 6267100743, 9644555001
Mr. Solar & Co- 402, 4th Floor, Kaushalya Vihar Apartment, Near Bhanwartal Garden, Napier Town, Jabalpur

होली लाईट चिल्ड्रन्स ऐकेडमी
हॉयर सेकेण्डरी स्कूल
प्रवेश प्रारम्भ
Holy Light Children's Academy Higher Secondary School
शासन द्वारा मान्यता प्राप्त (नर्सरी से बारहवीं तक) हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम
नोट- गरीबी रेखा कार्ड धारकों को फीस में विशेष् सुविधा
अभिभावकों को मोबाईल एप द्वारा विद्यालय की समस्त जानकारी लाईव
अनुभवी शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा अध्यापन
स्वस्थ शिक्षा वातावरण
खेलकूद के लिये मैदान व शाला भवन की स्थाई ईमारत
विशिष्ट शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापन, नैतिक/पारम्परिक संस्कारों से सुसज्जित शिक्षा
पेंटिग, ड्राईग, योग कक्षा, जूड़ों का विशेष प्रशिक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था
पिकनिक, आनंद मेला, वार्षिकोत्सव व क्राफ्ट प्रदर्शनी का प्रत्येक वर्ष आयोजन
फेल विद्यार्थी निराश न हो दसवीं, बारहवीं गारण्टी से पास
सभी BA,B.Com., B.Sc.,LLB, B.Ed, M.Ed. हेतु संपर्क करें
Jai Prakash Nagar, Adhartal, Jabalpur (MP) 482004
Mob: 9301646302, 9407059444

GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL
A Residential & Day Boarding School
NURSERY TO CLASS 12th
ADMISSIONS OPEN 2026-27
BIG DREAMS NEED A BIG START
GVPS SHAPE THE LEADERS OF TOMORROW WITH FUTURE-READY FACILITIES
KEY FEATURES
Affiliated to CBSE
Bus Facility
Air Cooled Hostel
Atal Tinkering Lab
Separate Hostel for Girls & Boys
Safe Campus
Large Playground
Healthy Environment
Greenery in Abundance
State of Art Classrooms
Digital Classrooms
CCTV Surveillance
For more Information
9300154300, 9300119919
Raigwan, Next to Bharat Petroleum, Patan Road, Jabalpur

LEONARD H.S.SCHOOL
(Recognised by Govt of M.P.)
Classes : Nursery to 12th
Come and join us
ADMISSION OPEN
Informatics Practices/Maths Science/Commerce/Arts Groups
The School is located in a Peaceful and eco friendly atmosphere.
Emphasis is given on Spoken English in all the classes.
Sports and Cultural activities are held on a regular basis.
Excellent Board Results Year after Year.
53, Denning Road, Behind Civil Line Police Station Jabalpur (MP)
Phone : 0761-4030678, 9425387092, 7999910499

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57